कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 10201 दिनांक :- 25/8/17

निमित्त :-

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.

खण्ड शाहाबाद।

विषय :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियो की पूर्ति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा रामगढ कालापटा से करबला लक्ष्मीपुरा सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6988/2014 कुल 2.00 है0 के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियो की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित भूमि की संलग्न KML FILE Polygon Shape में दी गई है किन्तु उसमे गैर वनभूमि का विवरण नही दिया गया है। इसे सेगमेन्ट वाईज दी जानी प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या c-(iv) में संलग्न भू संदर्भित मानचित्र में प्रत्येक सेगमेन्ट के सभी कानर्स के जी.पी.एस. कोर्डीनेट्स नही दिये गये है।
3. प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि का समेकित विवरण (103.4 है0) दिया गया है किन्तु इसमे यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त प्रस्ताव की प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले में गैर वनभूमि कहां दी गई है एवं समेकित की गई भूमि में उक्त भूमि सम्मिलित है अथवा नही। अधिशांषी अभियंता बारां को जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई सडको की सूची भी उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।

उप वन संरक्षक
बारां

FCA/ LETTER FCA 2016

।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCF-IV Jaipur Dated 9.8.2017

सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग राजस्थान के अधिशासी अभियंता खण्ड शाहबाद बारा द्वारा Construction of BT road from Ramgarh Kalapatta to Karbala Laxmipura में जिला बांरा एवं उप वन संरक्षक बांरा की कुल **2.00** है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/6988/2014** पर रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में क्षैत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा चाही गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संशोधित कर भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

A – Compliance of EDS dated 15-7-2017 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण।
   1. प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित भूमि की संलग्न KML file polygon shape में दी गई है किन्तु उसमें गैर वन भूमि का विवरण नही दिया गया है। इसे सेगमेंट वाइज दी जानी प्रस्तावित है।
   2. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या c-(iv) में संलग्न भू संदर्भित मानचित्र में प्रत्येक सेगमेंट के सभी कानर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेट्स नही दिये गये है।
   3. प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि का समेकित विवरण (103.4 है0) दिया गया है किन्तु इसमें यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त प्रस्ताव की प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले में गैर वन भूमि कहॉं दी गई है एवं समेकित की गई भूमि में उक्त भूमि सम्मिलित है अथवा नही । अधिशाषी अभियंता बांरा को जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई सड़को की सूची भी उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।

उक्त सूचना ऑनलाईन भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR